

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती

संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/ 185

दिनांक: 27.10.2021

सेवा में,

श्री संदीप नारायण राव धवने

पाटनबोरी, ता। केलापुर

जिल्हा - यवतमाल ,पिन कोड : 445305

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी ।

महोदय ,

आपका पत्र दि. 30.09.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक: 09.10.2021 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

मांगी गई जानकारी	मौजा हिवरा बारसा ता. झरीजामनी जि. यवतमाल येथील गट क. 88 मधुन गेलेल्या टावर लाईन मुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईचा संपुर्ण तपशिल कागद पत्रासह देण्यात यावा 1.मौजा हिवरा बारसा ता. झरीजामनी जि. यवतमाल येथील गट क. 88 मधुन 765 के.व्ही. वर्धा हैद्राबाद लाईन लोकेशन नं. 14/1,14/2मध्ये आपल्या कंपनीचे टावर झाले आहे या गट क. 88 मध्ये बरेच वारस असुन त्यापैकी कोणाला कशाचा आधारावर व किती नुकसान भरपाई मोबदला देण्यात आला त्याबाबतचा संपुर्ण तपशिल पुर्ण कागद पत्रासह (संमतीपत्रासह असल्यास) देण्यात यावा
प्रस्तुत जानकारी	1. आपके आरटीआय अनुरोध पत्र में मौज़ा हिवरा बारसा ता, झरीजामनी, जिल्हा। यवतमाल के गट नंबर 88 से गुजरने वाली 765 के वी वर्धा- हैद्राबाद लाइन लोकेशन नंबर 14/1 एवं 14/2 में अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गई मुआवजा राशि से संबंधित दस्तावेज़ मांगे गए हैं जिसमें किसी भी सार्वजनिक हित का खुलासा नहीं किया गया है एवं यह जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है और जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी सहमति हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) के प्रावधानों के अनुसार आपको तीसरे पक्ष के संबंध में जानकारी पावरग्रिड द्वारा नहीं दी जा रही है।
मांगी गई जानकारी	2.वरील उल्लेखीत टावरची उभारणी करतांना आपल्या कंपनी द्वारे शेतमालका पैकी कोणाची नाहरकत परवानगी घेण्यात आली व त्यासंबंधी आपण कोणकोणते पत्रव्यवहार (नौटीसा) कोणत्या शेत मालकाशी करण्यात आले त्याचा संपुर्ण तपशिल कागदपत्रासह देण्यात यावा.
प्रस्तुत जानकारी	2. भारतीय तार अधिनियम 1885 भाग 3 क अनुसार पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को काम करने से पहले अनुमती लेने की आवश्यकता नही होती है। इस नियम के तहत काम करते समय फसल एवं पेड़ो का जो भी नुकसान होता है उसका मुआवजा कार्यकारी दंडाधिकारी के मुल्यांकन अनुसार देने का प्रावधान है एवं महाराष्ट्र राज्य का जी.आर. क. संकीर्ण 0210/प्र.क.29/ऊर्जा-4 दि. 01.11.2010 के अनुसार जमिन मुआवजा देने के लिए किसान द्वारा एन. ओ.सी./संमतीपत्र देने का कोई प्रावधान नही है।



(In continuation to letter ref. no. प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/

dated: 27.10.2021)



उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

अपीलीय अधिकारी का पता-

श्री. एस.रविंदर कुमार , कार्यपालक निदेशक प.क्षे.-1
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ,
पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड़,
पोस्ट -उप्लवाडीनागपुर - 440026
दूरध्वनीक्रमांक-0712-2641470

(पंकज दलाल)

जन सुचना अधिकारी

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर

दूरध्वनीक्रमांक 0712- 2641484

ईमेल : pankajdalal@powergridindia.com

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थः

- 1) कार्यपालक निदेशक पश्चिम क्षेत्र -1
- 2) मुख्य महाप्रबंधक (वर्धा)